

# कार्यालय : मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

आदेश संख्या—सेवाएं-3क(2) / अराज0 / पदो0 / 50

/ 2016-17 दिनांक 30 अप्रैल, 2016

## विज्ञप्ति / पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में निहित प्राविधानों तहत निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक / सेवाएं-2/19739-40/30 प्रतिशत पदो0/2015-16 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक / सेवाएं-2/556-57/30 प्रतिशत पदो0/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2016 के अनुपालन में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वैतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी वैतनक्रम-9300-34800 ग्रेड वैतन-4600 में उनके विकल्प के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 05 दिन के भीतर अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

## विषय-गणित (सामान्य शाखा)

क्र0 स0	शिक्षक / शिक्षिका का नाम पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद	जन्म तिथि	पदस्थापित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री हरीश राणा	रा.पू.मा.वि. फगुनियाखेत भीमताल	नैनीताल	05-07-1977	रा0इ0का0 महुवाडाबरा, उधमसिंहनगर-बी०	—
02	श्री रमेश चन्द्र गड़कोटी	रा0उ0प्रा0वि० मटियानी, चम्पावत	चम्पावत	10-06-1974	रा0इ0का० मध्यगंगोल पाटी, चम्पावत-ई०	—
03	श्री नवीन चन्द्र पन्त	रा0पू0मा0वि० रौकुवर, चम्पावत	चम्पावत	28-06-1975	रा0उ0मा0वि० पल्सौं, चम्पावत-डी०	—
04	श्री कमल सिंह बोहरा	रा0प्रा०वि० पुण्डिल, लोहाघाट	चम्पावत	28-06-1975	रा0उ0मा०वि० निलौटी, पाटी, चम्पावत-ई०	—
05	श्री पंकज जोशी	रा0पू०मा०वि० चालिया पाटी	चम्पावत	05-07-1975	रा0उ०मा०वि० बिडोरी, उधमसिंहनगर-बी०	—
06	श्री सुरेश चन्द्र जोशी	रा0पू०मा०वि० छन्दा, बाराकोट	चम्पावत	01-04-1966	रा0उ०मा०वि० बिरगुल, चम्पावत-ई०	—
07	श्री राकेश सती	रा.पू.मा.वि. स्यूडा, भीमताल	नैनीताल	14-06-1969	रा0उ०मा०वि० रानीबाग, नैनीताल-बी०	—
08	श्री केशव दत्त तिवारी	रा0प्रा०वि० देवीथल, लमगड़ा	अल्मोड़ा	10-04-1964	रा0इ0का० बनलेख, बागेश्वर-डी०	—
09	श्री जितेन्द्र सिंह विष्ट	रा0उ०प्रा०वि० विसौदकोट, लमगड़ा	अल्मोड़ा	30-08-1966	रा0इ0का० नौगाँव, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा-सी०	—
10	दिनेश चन्द्र साह	रा0प्रा०वि० धनियारी, द्वाराहाट	अल्मोड़ा	22-04-1967	रा0इ0का० दूनागिरी, अल्मोड़ा-ई०	—
11	जितेन्द्र कुमार पुनेठा	रा0उ०प्रा०वि०मल्लागैराड धौलादेवी	अल्मोड़ा	21-07-1967	रा0इ0का० तलाड अल्मोड़ा-बी०	—
12	गिरीश चन्द्र जोशी	रा0जू०हा० सिंधियामल्ला धौलादेवी	अल्मोड़ा	03-05-1968	रा0इ0का० पुभॉऊ, अल्मोड़ा-डी०	—
13	श्री ग्रीष्म कुमार पपनोई	रा0उ०प्रा०वि० गाजर, स्याल्दे	अल्मोड़ा	29-05-1968	रा0उ०मा०वि० शिवपुरबैलजुड़ी, रामनगर, नैनीताल-बी०	—
14	श्री मनोज कुमार जोशी	रा0प्रा०वि० दियारी भैसियाछाना	अल्मोड़ा	16-02-1969	रा0उ०मा०वि० चौराकलेत, अल्मोड़ा-बी०	—
15	वीरेन्द्र सिंह	रा0जू०हा० पीपलधार चौखुटिया	अल्मोड़ा	04-05-1969	रा0इ0का० जौरासी, स्याल्दे, अल्मोड़ा-डी०	—
16	श्री कौस्तुवानन्द	रा0उ०प्रा०वि० स्यूणा, लमगड़ा	अल्मोड़ा	30-06-1969	रा0इ0का० लमगड़ा, अल्मोड़ा-सी०	—
17	ललित मोहन सिंह	रा0जू०हा० पैली तड़ागताल, चौखुटिया	अल्मोड़ा	05-09-1969	रा0इ0का० जालली, अल्मोड़ा-डी०	—
18	कृष्ण कुमार	रा0जू०हा० बागपाली, धौलादेवी	अल्मोड़ा	01-02-1970	रा0इ0का० दोबांस, पिथौरागढ़-एफ०	—

क्रमशः पेज 2.....

19	गोविन्द सिंह	रा०प्रा०वि० टुकनोली, सल्ट	अल्मोड़ा	10-07-1970	रा०इ०का० हरिपुराहरसान, उधमसिंहनगर—बी०	—
20	श्री कैलाश चन्द्र तिवारी	रा०प्रा०वि० बघाड, लमगड़ा	अल्मोड़ा	11-06-1971	रा०उ०मा०वि० पौधार, अल्मोड़ा—डी०	—
21	शंकर दत्त पाण्डे	रा०प्रा०वि० गंगा श्री, सल्ट	अल्मोड़ा	29-07-1971	रा०इ०का० भीमताल, नैनीताल—बी०	—
22	योगेश सिंह बिष्ट	रा०क०ज०हा० ध्याडी, धौलादेवी	अल्मोड़ा	01-07-1972	रा०उ०मा०वि० मकड़ाऊ, अल्मोड़ा—डी०	—
23	मिथिलेश कुमार खुल्ले	रा०उ०प्रा०वि० मजगॉव, सल्ट	अल्मोड़ा	23-10-1975	रा०उ०मा०वि० धौलपुर, उधमसिंहनगर—ए०	—
24	श्री सुनील कुमार पाण्डेय	रा०क०प०मा०वि० मंगोली, लोहाघाट	चम्पावत	08-03-1968	रा०इ०का० विविल, चम्पावत—डी०	—
25	श्री नवीन चन्द्र जोशी	रा०उ०प्रा०वि० गुरखोली चम्पावत	चम्पावत	01-12-1971	रा०इ०का० चम्पावत—बी०	—
26	श्री कमल सिंह बिष्ट	रा०प्रा०वि०, सुतरगॉव, बागेश्वर	बागेश्वर	28-06-1975	रा०इ०का० वजूला, बागेश्वर—डी०	—
27	श्री हेम चन्द्र जोशी	रा०उ०प्रा०वि० मल्ली खटोली, चम्पावत	चम्पावत	20-09-1976	रा०उ०मा०वि० बिगराबाग, उधमसिंहनगर—बी०	—
28	श्री मनोज असवाल	रा०उ०प्रा०वि०, मठियोली बागेश्वर	बागेश्वर	25-05-1977	रा०इ०का० सलानी, बागेश्वर—ई०	—
29	श्री हेत सिंह बिष्ट	रा०प०मा०वि० जेंगॉव जतोली	चम्पावत	15-05-1978	रा०इ०का० दियूरी, चम्पावत—ई०	—

(श्रीमती सुषमा सिंह)  
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

/2016-17 दिनांक उक्तानुसार।

पृ०सं० / सेवाएं—३क(२) / अराज० / १२०९—२०

प्रतितिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 01— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
- 02— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 05— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
- 06— वरिष्ठ कोषाधिकारी सम्बन्धित जननपद।
- 07— वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 08— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 09— सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को इस आशय के साथ कि पदोन्नत शिक्षक को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली—भौति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
  - (क)— अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
  - (ख)— प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 31 जून, 2014 की तिथि तक कुमाऊँ मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान—9300—34800 (ग्रेड वेतन—4600) में कार्यरत हों।
  - (ग)— शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
  - (घ)— पदोन्नत अध्यापक को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। परन्तु यह कि पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- 10— सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि के 05 दिन भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के सम्मुख अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।
- 11— कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

# कार्यालय : मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

आदेश संख्या—सेवाएं-3क(2)/अराज0/पदो0/

48

/2016-17 दिनांक 30 अप्रैल, 2016

## विज्ञप्ति/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में निहित प्राविधानों तहत निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाएं-2/19739-40/30 प्रतिशत पदो0/2015-16 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक/सेवाएं-2/556-57/30 प्रतिशत पदो0/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2016 के अनुपालन में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी वेतनक्रम-9300-34800 ग्रेड वेतन-4600 में उनके विकल्प के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 05 दिन के भीतर अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

## विषय-हिन्दी (सामान्य शाखा)

क्र0 स0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद	जन्म तिथि	पदस्थापित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री तिल राम	रा0जू0हा0 दुम्मर, मुनस्यारी	पिथौरागढ़	28-02-1970	रा0इ0का0 जाबुकाथल, पिथौरागढ़-डी०	-
02	श्रीमती किरन पंत	रा0प्रा0वि० टोटानौला, मुनाकोट	पिथौरागढ़	10-07-1968	रा0इ0का० देवलथल, पिथौरागढ़-डी०	-
03	श्री भैरव दत्त पनेरू	रा0प्रा०वि० सांगो, पाटी	चम्पावत	01-07-1969	रा0उ०मा०वि० बूंगाबीड़, चम्पावत-ई०	-
04	श्री गिरीश चन्द्र भट्ट	रा0उ०मा०वि० अण्डोली, धौलादेवी	अल्मोड़ा	22-02-1966	रा0उ०मा०वि० जागेश्वर, अल्मोड़ा-डी०	-
05	सरोजनी पाण्डे	रा0प्रा०वि० डूंगरा, ताड़ीखेत	अल्मोड़ा	06-05-1968	रा0उ०मा०वि० जलालगाँव, नैनीताल-डी०	-
06	शान्ति गोस्वामी	रा0प्रा०वि० कनार, ताड़ीखेत	अल्मोड़ा	01-07-1968	रा0इ0का० रैगल, अल्मोड़ा-डी० श्रेणी	-
07	डा० (श्रीमती) हिमांशु पाण्डे	रा०प्रा०वि० चुराड़ी, ताकुला	अल्मोड़ा	16-02-1970	रा0इ0का० भकूना, अल्मोड़ा-डी० श्रेणी	-
08	श्रीमती रेनू पाण्डे	रा.क.पू.मा.वि. ढूंगशिल भीमताल	नैनीताल	30-06-1970	रा0उ०मा०वि० जैना अल्मोड़ा-डी०	-
09	श्री प्रयाग दत्त सोराड़ी	रा०प्रा०वि० जैरोली, पाटी	चम्पावत	05-07-1966	रा0इ0का० भूमियाधार, नैनीताल-सी०	-
10	रमा पाण्डेय	रा०जू०हा० भद्रिका कनालीछीना	पिथौरागढ़	01-07-1968	रा0इ0का० आठगाँवशीलिंग, पिथौरागढ़-सी०	-
11	श्री ऊर्बा दत्त सोराड़ी	रा०प्रा०वि० बरमतोड़ा, पाटी	चम्पावत	12-09-1968	रा0इ0का० भीमताल, नैनीताल-बी०	-

(श्रीमती सुष्मा सिंह)

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

क्रमसंख्या: पेज 2.....

- पू०सं० / सेवाएं-३क(२) / अराज० / ॥४८—१७  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—  
/ 2016-17 दिनांक उक्तानुसार।
- 01— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।  
02— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।  
03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।  
04— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।  
05— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।  
06— वरिष्ठ कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।  
07— वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।  
08— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।  
09— सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को इस आशय के साथ कि पदोन्नत शिक्षक को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भौति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।  
(क)— अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।  
(ख)— प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 31 जून, 2014 की तिथि तक कुमाऊँ मण्डलान्तर्गत चूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान-9300-34800 (ग्रेड वेतन-4600) में कार्यरत हों।  
(ग)— शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।  
(घ)— पदोन्नत अध्यापक को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। परन्तु यह कि पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।  
10— सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि के 05 दिन भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के सम्मुख अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।  
11— कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल तैनाताल +



# कार्यालय : मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

आदेश संख्या—सेवाएं—3क(2) / अराज0 / पदो0 /

५९

/ 2016–17 दिनांक ३० अप्रैल, 2016

## विज्ञप्ति / पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली—2014 के भाग—5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर—16(1) में निहित प्राविधानों तहत निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक / सेवाएं—2 / 19739—40 / 30 प्रतिशत पदो0 / 2015—16 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक / सेवाएं—2 / 556—57 / 30 प्रतिशत पदो0 / 2016—17 दिनांक 08 अप्रैल, 2016 के अनुपालन में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक / अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी वेतनक्रम—9300—34800 ग्रेड वेतन—4600 में उनके विकल्प के आधार पर उनके नाम के समुख स्तम्भ—06 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 05 दिन के भीतर अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक / शिक्षिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

### विषय—सामान्य (सामान्य शाखा)

क्र0 स0	शिक्षक / शिक्षिका का नाम पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद	जन्म तिथि	पदस्थापित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07
01	श्रीमती बसन्ती जोशी	रा०जू०हा० सूनीभण्डारीगांव, कनालीछीना	पिथौरागढ़	01-01-1964	एस०डी०एस० रा०इ०का० पिथौरागढ़—बी०	—
02	सुश्री चन्द्रा गडिया	रा०उ०प्रा०वि० शुभगढ़, कपकोट	बार्गेश्वर	28-02-1966	रा०उ०मा०वि० पोथिंग, बार्गेश्वर—ई०	—
03	श्रीमती शान्ति	रा०जू०हा० तिलदुकरी, बिण	पिथौरागढ़	30-06-1965	रा०इ०का० हल्दूचौड़, नैनीताल—ए०	—
04	श्री जगदीश चन्द्र पाण्डे	रा.उ.प्रा.वि. झाड़गांव, ओखलकाण्डा	नैनीताल	30-03-1970	रा०इ०का० हल्दूचौड़, नैनीताल—ए०	—
05	श्री कस्तूरी लाल	सी०आर०सी० मरसोली, मूनाकोट	पिथौरागढ़	15-11-1963	रा०इ०का० बगड़ीहाट, पिथौरागढ़—ई०	—
06	श्री राजेन्द्र कुमार वेरी	रा०जू०हा० कुनल्ता, गंगोलीहाट	पिथौरागढ़	01-04-1964	रा०इ०का० गणाईगंगोली, पिथौरागढ़—सी०	—
07	श्री ईश्वर चन्द्र पन्त	रा०जू०हा० भामा, गंगोलीहाट	पिथौरागढ़	12-04-1966	रा०उ०मा०वि० देवीपुरा (कोटाबाग) नैनीताल—बी०	—
08	श्रीमती इन्द्रा ग्वासकोटी	रा.उ.प्र.वि. मोटाहल्दू हल्द्वानी	नैनीताल	05-06-1967	ए०ए०ज्ञा० रा०इ०का० रुद्रपुर, उधमसिंहनगर—ए०	—
09	श्री दिनेश चन्द्र	रा०उ०प्रा०वि० भैंटूली ताकुला	अल्मोड़ा	26-10-1968	रा०उ०मा०वि० चौराहवालबाग, अल्मोड़ा—डी०	—

  
(श्रीमती सुषमा सिंह)

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पृ०सं० / सेवाएं—3क(2) / अराज0 / १९९—२०४

- प्रतितिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
- 01— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
  - 02— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - 03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - 04— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।

/ 2016–17 दिनांक उक्तानुसार।

- 05— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।  
06— वरिष्ठ कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।  
07— वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।  
08— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।  
09— सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को इस आशय के साथ कि पदोन्नत शिक्षक को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भौति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।  
(क)— अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।  
(ख)— प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 31 जून, 2014 की तिथि तक कुमाऊँ मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान—9300—34800 (ग्रेड वेतन—4600) में कार्यरत हों।  
(ग)— शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।  
(घ)— पदोन्नत अध्यापक को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। परन्तु यह कि पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अन्धर्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।  
10— सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि के 05 दिन भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के सम्मुख अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।  
11— कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल तैनाताल

# कार्यालय : मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

आदेश संख्या—सेवाएं-3क(2)/अराज0/पदो0/

विज्ञप्ति / पदोन्नति

/ 2016-17 दिनांक 30 अप्रैल, 2016

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में निहित प्राविधानों तहत निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक / सेवाएं-2/19739-40/30 प्रतिशत पदो0/2015-16 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक / सेवाएं-2/556-57/30 प्रतिशत पदो0/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2016 के अनुपालन में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी वेतनक्रम-9300-34800 ग्रेड वेतन-4600 में उनके विकल्प के आधार पर उनके नाम के समुख स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 05 दिन के भीतर अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

## विषय—अंग्रेजी (सामान्य शाखा)

क्र0 स0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद	जन्म तिथि	पदस्थापित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री राघवेन्द्र नन्दन पाठक	रा.पू.मा.वि. बजूड़ी बेतालघाट	नैनीताल	25-06-1970	रा0उ0मा0वि0 शिवपुर बैलजुड़ी रामनगर नैनीताल-बी0	-
02	श्री जितेन्द्र सिंह असवाल	रा.पू.मा.वि. तिवाड़ीगाँव बेतालघाट	नैनीताल	16-08-1970	रा0उ0मा0वि0 चन्द्रनगर नैनीताल-बी0	-
03	श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी	रा0उ0प्रा0वि0 हरौली बेतालघाट	नैनीताल	27-06-1976	रा0इ0का0 लामाचौड़ नैनीताल-ए0	-
04	बसन्त नाथ गोस्वामी	रा0प्रा0वि0 लीमाटोड़ा कनालीछीना	पिथौरागढ़	05-06-1973	रा0इ0का0 कनालीछीना पिथौरागढ़-डी0	-
05	श्री जोगागिरी गोस्वामी	रा.उ.प्रा.वि., नैलकत्त्यूर बागेश्वर	बागेश्वर	05-01-1968	रा0उ0मा0वि0 नयागांव कटान, नैनीताल-बी0	-
06	श्री शिवराज सिंह	रा0प्रा0वि0ध्यूली धौनी लमगड़ा	अल्मोड़ा	20-03-1974	रा0उ0मा0वि0 ध्यूली रौतेला लमगड़ा अल्मोड़ा-ई0	-
07	गिरिश चन्द्र सिंह	रा0उ0प्रा0वि0 जैनल भिक्यासैण	अल्मोड़ा	01-05-1974	रा0उ0मा0वि0 बजीना ताड़ीखेत अल्मोड़ा-सी0	-
08	राजीव जोशी	रा0क0जू0हा0 नाचनी मुनस्यारी	पिथौरागढ़	10-01-1975	रा0इ0का0 दौबांस पिथौरागढ़-एफ0	-
09	राम सिंह बिष्ट	रा0प्रा0वि0 टानारैली ताड़ीखेत	अल्मोड़ा	15-10-1977	रा0इ0का0 अल्मोड़ा-बी0	-
10	पूनम वर्मा	रा0क0जू0हा0 तिलदुकरी, बिण	पिथौरागढ़	31-03-1971	रा0इ0का0 असकोट पिथौरागढ़-सी0	-
11	श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय	रा0उ0प्रा0वि0 बडोली चम्पावत	चम्पावत	03-06-1974	रा0उ0मा0वि0 पल्सों चम्पावत-डी0	-
12	श्रीमती अनीता चन्द्र	रा0उ0प्रा0वि0 राईकोटमहर, लोहाघाट	चम्पावत	18-06-1975	रा0उ0मा0वि0 डुगरालेटी चम्पावत-ई0	-
13	श्री बाल कृष्ण चन्द्र	रा.उ.प्रा.वि. बाघनी, कोटाबाग	नैनीताल	01-01-1974	रा0इ0का0 ढेला रामनगर नैनीताल-बी0	-
14	श्री कवीन्द्र राम	रा.उ.प्रा.वि., झोपड़ा कपकोट	बागेश्वर	10-04-1976	रा0उ0मा0वि0 उत्तरौड़ा बागेश्वर-सी0	-

क्रमसं: पेज 2

15	श्री कमल मोहन जोशी	रा०उ०मा०वि० कमोला कोटाबाग	नैनीताल	08-04-1977	रा०उ०मा०वि० चंचरोटी अल्मोड़ा-डी०	-
16	श्रीमती रश्मि रौतेला	रा.उ.प्रा.वि. कनखा, धारी	नैनीताल	29-03-1978	रा०झ०का० हरिपुराहरसान उथमसिंहनगर-बी०	-
17	श्रीमती ममता शर्मा	रा.क.पू.मा.वि. पनियामेहता, भीमताल	नैनीताल	15-03-1979	रा०झ०का० बैरियादौलत उथमसिंहनगर-बी०	-

१२२१

(श्रीमती सुषमा सिंह)

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

/ 2016-17 दिनांक उक्तानुसार।

पृ०सं० / सेवाएं-३क(२) / अराज० / १२२१-३२

प्रतितिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।

02— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

04— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।

05— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।

06— वरिष्ठ कौशलाधिकारी सम्बन्धित जनपद।

07— वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।

08— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।

09— सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को इस आशय के साथ कि पदोन्नत शिक्षक को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भौति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।

(क)— अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।

(ख)— प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 31 जून, 2014 की तिथि तक कुमाऊँ मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान-9300-34800 (ग्रेड वेतन-4600) में कार्यरत हों।

(ग)— शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(घ)— पदोन्नत अध्यापक को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। परन्तु यह कि पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

10— सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि के 05 दिन भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के सम्मुख अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।

11— कार्यालय आदेश पंजिका।

१२२१

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में निहित प्राविधानों तहत निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाएं-2/19739-40/30 प्रतिशत पदो0/2015-16 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक/सेवाएं-2/556-57/30 प्रतिशत पदो0/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2016 के अनुपालन में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी वेतनक्रम-9300-34800 ग्रेड वेतन-4600 में उनके विकल्प के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 05 दिन के भीतर अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

**विषय-सामान्य (महिला शाखा)**

क्र0 स0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद	जन्म तिथि	पदस्थापित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07
01	श्रीमती विमला राजन	सी0आर0सी0 बीसाबजेड	पिथौरागढ़	01-01-1964	रा0क0इ0का0 हल्द्वानी, नैनीताल-४०	—
02	श्रीमती हेमा पन्त	रा0क0जू0हाई0	पिथौरागढ़	28-02-1966	रा0बा0इ0का0 पिथौरागढ़-डी०	—
03	भगवती पाण्डे	रा0क0जू0हा० मल्ली मिरई, द्वाराहाट	अल्मोड़ा	30-06-1965	रा0बा0इ0का0 हल्द्वानी, नैनीताल-४०	—

(श्रीमती सुषमा [संकेत])  
**मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)**  
**कुमाऊँ मण्डल नैनीताल**

पृ०सं०/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ **1233-44**  
 प्रतितिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

/2016-17 दिनांक उक्तानुसार।

- 01— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
  - 02— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - 03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - 04— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
  - 05— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
  - 06— वरिष्ठ कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
  - 07— वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
  - 08— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
  - 09— सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को इस आशय के साथ कि पदोन्नत शिक्षक को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भौति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- (क)— अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
- (ख)— प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 31 जून, 2014 की तिथि तक कुमाऊँ मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान-9300-34800 (ग्रेड वेतन-4600) में कार्यरत हों।
- (ग)— शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

क्रमशः पैज 2.....

- (घ)– पदोन्नत अध्यापक को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। परन्तु यह कि पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- 10– सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि के 05 दिन भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के सम्मुख अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।
- 11– कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल नीताल